

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अवल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूर) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श्रीमती भाली तारा 2. वर्तमान धारित पद प्रकारन स्टाफ
3. वर्तमान वेतन 14010+2800 अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01-7-2017

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Nil							

हस्ताक्षर Chakनाम भाली तारापद प्रकारन स्टाफविभाग सहायक निदेशक, आंगनवाडी सेवा (प्रकारन जिला, ओरिसा)

- * जहां लागू न हो काट दीजिए।
- ** ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगायत मूल्य बतलाया जाए।
- *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
- टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अर्थात् प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अवल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

शाकेमुभो-926-अससाप्रवि-22-10-09-15,000.

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अबल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो अनुराग शर्मा शर्मा 2. वर्तमान धारित पद निदेशिका
 3. वर्तमान वेतन 15180 + 2800 आगामी वेतनवृद्धि की तारीख सु.गारि 2011

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
नोपान	गोबाधि भण्ड	—	रु. 35 लाख एकमात्र	स्वयं एवं पति श्री प्रदीप शर्मा के नाम पर	श्री. एन. बी. राजनिधि से कर्प 2006 ई में खरीदा गया अथवा 2005 ई में पति श्री प्रदीप शर्मा से प्राप्त किया गया	निस	—

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अबल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।
 शाकेमुभी—926—अससाप्रवि—22-10-09—15,000.

हस्ताक्षर
 नाम अनुराग शर्मा
 पद निदेशिका
 विभाग श्री. एन. बी. राजनिधि
नोपान

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अवल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2016 (31-12-2016 तक)

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो एनय कुमार अग्रवाल

2. वर्तमान धारित पद वाइल अकाउंट

3. वर्तमान वेतन अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-2017

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		भूमि	**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
①-जाय बंजारा	पुराना इलाका 800 sq. ft.	-	लगभग 25 लाख	खुद का	र. 5,25,000/- मूल्य र. 3,50,000/- मूल्य/अरुण सिंह म. अरुण सिंह	उपरोक्त		
② "	पुराना इलाका जैवाल	-	लगभग 30 लाख	अपनी अमाउ (बैंक) से	र. 5,89,000/- मूल्य र. 5,00,000/- मूल्य/अरुण सिंह म. अरुण सिंह	1,62,000/- (फॉर्म में दर्शाया)		
③ "	पुराना इलाका 800 sq. ft.	-	लगभग 30 लाख	खुद का	28,00,000/- मूल्य र. 22,00,000/- मूल्य/अरुण सिंह म. अरुण सिंह	2,40,000/- (फॉर्म में दर्शाया)		

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सदर्थ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अत्यंतकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पर्यन्त यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वाभिमत्त की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अवल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।
 शाकेसुभो-926-अससाप्रति-22-10-09-15,000.

नाम अनय कुमार अग्रवाल
 पद वाइल अकाउंट
 विभाग अग्रवाल म. अरुण सिंह
अरुण सिंह

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अबत सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20 2016 तक

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **आविनाश कागडे** 2. वर्तमान धारित पद **सहायक डी.डी. ऑफिसर**

3. वर्तमान वेतन **141307.2800** आगामी वेतनवृद्धि की तारीख **1-7-2017**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		भूमि	**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभिभूतिक
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
E-2/193 ओररा कॉलोनी श्रीवाले (म.प्र.) पिन कोड 426-016	Plot size 54 x 80' 4000 Sq. Ft जि.पट्टा श्रीवाले जि.पट्टा	- - - -	श्री ओररा एन.एच. म.प्र. छायापुर	डॉ. पी. श्यामल कागडे सिना आविनाश कागडे डुना	विरासत से दि. 5-9-1967 रु. 14-9-2009 दि. 14-9-2009	रु. 1,20,000 9189 8115	रु. 12000 समूहिक 12000 श्रीवाले जि.पट्टा	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगाभा मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अबतल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।
 शाके.मु.शो-926-अससाप्रवि-22-10-09-15,000.

हस्ताक्षर **AS Sharma**
 नाम **आविनाश कागडे**
 पद **सहायक डी.डी. ऑफिसर**
 विभाग **श्रीवाले कॉलोनी**
पिन कोड 426-016
म.प्र.

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अवल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2016 रक 25 जनवरी से 3 दिसम्बर 2016

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो अविनाश फाते 2. वर्तमान धारित पद सहायक जेड डी

3. वर्तमान वेतन 14130 + 2800 अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-2017

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		भूमि	**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **छरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
E-2 / 193 औररौ कॉलोनी शियाल (CH. J.) दिल कोड 426-016	Plot size 50' x 80' 4000 Sq. Ft	-	रु 2000 रु 2000 रु 2000	रु. 14-9-2009 रु. 14-9-2009	विरासत के रु. 5-9-1967 रु. 14-9-2009	रु 120000 रु 120000 रु 120000	रु 120000 रु 120000 रु 120000	रु 120000 रु 120000 रु 120000

* जहां लागू न हो कार्ट टीकिंग।
** ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महिने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अवल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

शाकेसुभो-926-अससाप्रावि-22-10-09-15,000

हस्ताक्षर Asokhander
नाम अशोक अशोक फाते
पद सहायक जेड डी
विभाग आरक्षीय सेवा विभाग
रक रु 120000

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो डी.एन. शाह 2. वर्तमान धारित पद
 3. वर्तमान वेतन 12660 + 2800 आगामी वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-2017

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		भूमि	**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बताइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
जोधपुर जिला ओपल	आवासीय भवन	जिस-जिस	जोधावा	जोधावा - 8 गांव से संबंधित अन्य 2	डी.एन. शाह की विरासत से प्राप्त किया गया C-141 जोधपुर जिला ओपल	जिस-जिस	रु. 16 लाख	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पर्यन्त यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।
 शाके.मु.भां-926-अससाप्रवि-22-10-09-15,000.

हस्ताक्षर Bester
 नाम डी.एन. शाह
 पद सहायक-3
 विभाग डी.एन. शाह एवं उपा. ओपल

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श्री केशरी लाल तारा खन्ना 2. वर्तमान धारित पद सहायक प्रबंधक वर्ष 2012
3. वर्तमान वेतन 11,370/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1/7/14

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		भूमि	**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
	शेरावाला	शहर	-	1500000/-	श्री केशरी लाल तारा खन्ना (खरीद)	खरीद	/	

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अलचकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचारण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

शाकेसुभी-926-अससाप्रावि-22-10-09-15,000.

हस्ताक्षर

[Signature]

नाम श्री केशरी लाल तारा खन्ना

पद सहायक प्रबंधक

विभाग सहायक प्रबंधक, आर. व. डी. डी. (आर. व. डी. डी.)

श्री केशरी लाल तारा खन्ना

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो विपद डुभार डायकवार 2. वर्तमान धारित पद सहायक कर्मचारी
 3. वर्तमान वेतन अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-2017

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		भूमि	**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
① शास सेवा अधिकारी अध्याय	-	रहारा	41,50,000/-	स्वयं	डोटो आशिष से क्या किया !	डोटो श्री	काला डी डुभार स्वयं की अर्जन से क्या किया.	
② -	-	रहारा	2,00,000/-	स्वयं	डोटो साधिर से क्या किया !	डोटो श्री		

* जहां लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अलखकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।
 शाकेपुत्रो-926-अससाप्रति-22-10-09-15,000.

हस्ताक्षर Metha
 नाम डी.पी.के. डुभार आधिकारिक पद सहायक कर्मचारी
 विभाग सहायक निबंधक, आर.डी.ए.ए. कार्यालय, सागर
खं. कार्यालय, आर.डी.ए.ए. कार्यालय, सागर